COURT FEE
भारत INDIA
बीस रुपये TWENTY RUPEES

निगरानी 905-PBR-15

(67)

माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2015

आवेदक — करनाल सिंह पुत्र श्री बघेल सिंह आयु 72 वर्ष व्यवसाय– कृषि निवासी– ग्राम किशन गढ टेकपुर तहसील चीनौर जिला ग्वालियर

बनाम

अनावेदकगण
1– म.प्र.राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग म.प्र. शासन बल्लभ भवन भोपाल म.प्र.
2– कलेक्टर जिला ग्वालियर
3– अनुविभागीय अधिकारी भितरवार जिला ग्वालियर
4– गुलाब सिंह पुत्र हरगोविन्द सिंह राजपूत
5– पलविन्दर सिंह,
6– अरविंदर सिंह पुत्रगण निर्मल सिंह निवासी– ग्राम टेकपुर तहसील चीनौर जिला ग्वालियर

श्री मनीष शर्मा एड. द्वारा आज दि. 28-4-15 को प्रस्तुत
28-4-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा. संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 23.02.2015 जिसके द्वारा कलेक्टर ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 127/2012–13 बी 121 करनाल सिंह विरूद्ध गुलाब सिंह आदि में पारित आदेश दिनांक 23.02.2015 के द्वारा आवेदक का आवेदन जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त सैनिक को पट्टे पर दी गई भूमि को पट्टे की शर्तों के विपरीत अनावेदकगण 4 लगायत 6 के हित में संपादित किया गया विक्रय पत्र विधि सम्मत मान्य करते हुए आवेदक की आपत्तियां आलौच्य आदेश से निरस्त कर दी हैं।</u>

28/4/2015

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1. यहकि, अनावेदक गुलाब सिंह पुत्र हरगोविन्द सिंह राजपूत को शासकीय चरनोई की भूमि सर्वे क्रमांक– 467 व नया 792 मिन रकवा 1.225 हैक्टर भूमि को प्रकरण क्रमांक 44/98–99/अ–59 आदेश दिनांक 21.01.1999 से काबिल कास्त घोषित करते हुए इस शर्त पर भूमि आवंटित की थी। कि सेना से सेवानिवृत्त कर्मचारी होने के नाते भूमि का स्वयं उपयोग करेंगें और किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित नहीं करेंगे। बावजूद इसके अनावेदकगण क्र–4 ने उक्त भूमि में से 0.41 हैक्टर भूमि अनावेदकगण क्र– 5 व 6 को पट्टे की शर्तो के विपरीत बिना प्रत्यर्थी क्रमांक– 1 लगायत 3 से अनुमति प्राप्त किये बिना विक्रय कर दी।

मनीष शर्मा (एड.)
28/5

2. यहकि, जिसकी आपत्ति कलेक्टर जिला ग्वालियर के यहां प्रस्तुत की कलेक्टर जिला ग्वालियर ने प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेज तथा अक्श का अनदेखा करते हुए केवल राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं पंचनामें पर विश्वास कर मनमाने तौर पर यह निष्कर्शित करते हुए आवेदक की शिकायत को निरस्त कर दिया कि अनावेदकगण क्र– 4, 5 व 6 को अपने खेतों में आने–जाने के लिये अन्य कोई मार्ग न होने के कारण रास्ते के लिये उक्त भूमि विक्रय की गई है। जिसमें कोई अवैधानिकता नहीं है।
3. यहकि, आलौच्य आदेश दिनांक 23.02.2015 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी माननीय के समक्ष निम्न आधारों पर प्रस्तुत है।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 905-पीबीआर/2015 जिला ग्वालियर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-03-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी कलेक्टर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28-5-2019 को जिला संभागीय आयुक्त के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो। रीडर अध्यक्ष	